

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन,

6वाँ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या-एम0ई0-3/पी0जी0-2022/2430

लखनऊ: दिनांक 19.10.2022

यू0पी0 नीट पी0जी0-2022 एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0/एम0डी0एस0 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग की समय सारणी

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की समय सारिणी निम्नवत् है:-

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 अपरान्ह 2:00 बजे से दिनांक 25 अक्टूबर, 2022
सिक्योरिटी धनराशि जमा करने तिथि	दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 अपरान्ह 2:00 बजे से दिनांक 27 अक्टूबर, 2022
मेरिट लिस्ट घोषित करने की सम्भावित तिथि	दिनांक 28 अक्टूबर 2022
ऑनलाईन च्वाइस फिलिंग की तिथि	दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 अपरान्ह 04:00 बजे से दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 अपरान्ह 02:00 बजे तक
परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक 01/02 नवम्बर 2022
आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं प्रवेश लेने की तिथि	दिनांक 02 नवम्बर, 2022 से 05 नवम्बर 2022 तक

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं डी0एन0बी0 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अलग-अलग पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा अलग-अलग सिक्योरिटी धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रथम चक्र में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चक्र में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में रु0 3,000/- जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं।
- काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रु0 30,000/- निजी क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु रु0 2.00 लाख तथा निजी क्षेत्र की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु रु0 1.00 लाख सिक्योरिटी धनराशि ऑन-लाइन जमा किया जाना अनिवार्य है।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी धनराशि उनके खाते में वापस की जा चुकी है। अतएव द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य है।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों को पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी, द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन हेतु अर्ह है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र से आवंटन प्राप्त हुआ है परन्तु उनके द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है, वे पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने पर ही द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://upneet.gov.in> & www.dgme.up.gov.in पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।